

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

वाद सं०- एम० पी० ०८/२०१७

धारा-१४४ द०प्र०सं०

मंगल सिंह मुण्डा.....प्रथम पक्ष

बनाम


नरेन्द्र कुमार सिंह वगैरह.....द्वितीय पक्ष


आदेश

12-12-2017

प्रस्तुत वाद में प्रथम पक्ष के बहस को सुना । दाखिल किये गये कामजातों एवं पुलिस प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विवादित जमीन पर सरकार की ओर से ग्रामीण विकास पथ प्राधिकार जे०एस० आर० आर० डी० ए० प्रोमेन्ट डी० पी० आर० एवं आर० डी० डी० खूँटी के कार्यपालक अभियंता के द्वारा रोड बनाने हेतु एकरारनामा किया गया है। रास्ता जनहित के हेतु बनाया जा रहा है। द्वितीय पक्ष वाद में अनुपस्थित है। अतः विवादित जमीन का मामला कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास पथ प्राधिकार जे०एस० आर० आर० डी० ए० प्रोमेन्ट डी० पी० आर० एवं आर० डी० डी० खूँटी से संबंधित है। ऐसी स्थिति में वाद को द० प्र० सं० कि धारा-१४४ के तहत कार्यवाही प्रारंभ कर आदेश पारित किया जाना संभव नहीं है। वाद को खारिज किया जाता है। आवेदक विभाग में आवेदन दे सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बुण्डू।